

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

—:: कार्यालय आदेश ::—

राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम-2008 के नियम 19 के अनुसार निम्न व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) को राज्य सेवा में/वर्तमान पद पर कॉलम संख्या 6 में अंकित निरन्तर संतोषजनक सेवावधि पूर्ण करने पर उनके नाम के सामने कॉलम संख्या 10 में अंकित तिथि से आश्वासित कैरियर प्रगति (एसीपी) स्वीकृत की जाती है।

क्र. सं.	नाम कार्मिक मय पद स्थापन स्थान (राउमावि/राबाउमावि)	व्याख्याता का विषय	जन्मतिथि	प्रथम नियुक्ति तिथि	व्याख्याता पद पर कार्यग्रहण एवं चयन का प्रकार	स्वीकृत एसीपी I, II, III	वेतन बेण्ड	स्वीकृत ग्रेड वेतन	स्वीकृति तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	सीमा जैन वा. समदडी, वाड़मेर	गृह विज्ञान	25.08.68	21.07.98 व्याख्याता	RVRES	20 वर्षीय	पी.एन.एल-14	पी.एन. एल-14	21.07.18
2	श्री प्रकाश चंद मीणा वा. नैनवा बूंदी	रसायन विज्ञान	10.08.73	15.12.98 व.अ.	डीपीसी 2011-12	20 वर्षीय	पी.एल.एल-13	पी.एल. एल-13	15.12.18
3	डा. विजय कुमार व्यास सेवाचौ गेट जोधपुर	रसायन विज्ञान	17.04.74	24.12.98 व.अ.	डीपीसी 2015-16	20 वर्षीय	पी.एल.एल-13	पी.एल. एल-13	24.12.18

उपरोक्त व्याख्याता का वेतन निर्धारण संबंधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा किया जाएगा। इस स्वीकृति एवं वेतन निर्धारण की प्रवेष्टि संबंधित की सेवा पुस्तिका में आवश्यक रूप से की जावे।



(नथमल डिल्ल)।

आई.ए.एस.

निदेशक माध्यमिक शिक्षा


राजस्थान, बीकानेर

दिनांक 18/04/19

क्रमांक:शिविरा-मा/संस्था/सी-4/रजीगृ/एसीपी/16-17

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. संबंधित उपनिदेशक (माध्यमिक).....
2. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)
3. संबंधित प्रधानाचार्य राउमावि
4. संबंधित कार्मिक
5. अनुभाग अधिकारी कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा
6. गार्ड फंजिका


1 संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक माध्यमिक, शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

-:: कार्यालय-आदेश:-

राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतमान) नियम-2008 के नियम 19 एवं राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतमान) नियम-2017(NO F.15(1) FD/RULES/2017 JAIPUR-DATED 30.10.2017&09.12.2017) के अनुसार निम्नांकित व्याख्याता स्कूल शिक्षा को राज्य सेवा में/वर्तमान पद पर कॉलम संख्या 7 में अंकित निरन्तर संतोषजनक सेवावधि पूर्ण करने पर व संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी/लेखाधिकारी की अनुशंसा अनुसार उनके नाम के सामने कॉलम संख्या 9 में अंकित तिथि से आश्वासित कैरियर प्रगति (एसीपी)स्वीकृत की जाती है।

क.स.	नाम कार्मिक मय पदस्थापन स्थान (राउमावि/ राबाउमावि)	जन्मतिथि	व्याख्याता विषय	प्रथम नियुक्ति तिथि	व्याख्याता में चयन का प्रकार	स्वीकृत एसीपी सेवा अवधि	स्वीकृत/पे मैट्रिक्स लेवल नं.	स्वीकृत तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	कन्हैया लाल मालव, सीसवाली, बांरा	30.06.60	भूगोल	03.06.88	DPC	30 वर्ष	PML-13	03.6-2018
2	घनश्याम शुक्ला, बड़गांव कोटा शहर	01.11.59	समाजशास्त्र	25.10.88	DPC	30 वर्ष	PML-14	25.10.2018
3	घनश्याम स्वर्णकार, महेश्वर खुर्द दोसा	01.05.71	अर्थशास्त्र	05.12.97	DPC	20 वर्ष	PML-13	05.12.2017
4	श्रीमती सविता सोगानी, रा.के. बा.उमावि.पुरानी मण्डी, अजमेर	28.11.66	अर्थशास्त्र	20.09.88	DPC	30 वर्ष	PML-14	20.9.2018

उक्त कार्मिकों का वेतन निर्धारण संबंधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा किया जावे। इस स्वीकृति का इन्द्राज सम्बन्धित अधिकारी की सेवा पुस्तिका में आवश्यक रूप से अंकित किया जावे।



(नथमल डिडेल)

आई०ए०एस

निदेशक माध्यमिक शिक्षा


राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक:- शिविरा/माध्य/संस्था/सी-5/एसीपी/2018-19

दिनांक - 18/ 4/2019

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संबंधित संयुक्त निदेशक / मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा
2. संबंधित जिला अधिकारी (मुख्यालय) मा.शि./मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी.....
3. संबंधित संस्था प्रधान राउमावि./राबाउमावि.....
4. संबंधित कार्मिक
5. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय-हाजा को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. गार्ड फंजिका



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान

बीकानेर


कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

—: कार्यालय आदेश —:

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक: प.11(7)/वित्त(नियम)/2008 दिनांक: 12.09.2008 एवं आदेश संख्या एफ. 11(7)/ वित्त(नियम) पार्ट-1/2008 दिनांक 06.08.2008 के अनुसरण में एवं राजस्थान पुनरीक्षित वेतनमान नियम 2017 के नियम 14 एवं 15 के तहत राजस्थान शिक्षा सेवा के निम्नांकित व्याख्याताओं को कॉलम संख्या 06 में अंकित निरन्तर संतोषजनक सेवावधि पूर्ण करने पर उनके नाम के आगे अंकित विवरण अनुसार एसीपी (आश्वासित कैरियर प्रगति) वेतन बैंड (9300-34800)/(15600-39100)/पे मैट्रिक्स लेवल एवं कॉलम संख्या 07 के अनुसार ग्रेड पे वेतन एवं पे मैट्रिक्स लेवल, कॉलम संख्या 08 में अंकित तिथि से स्वीकृत की जाती है :-

क्र. सं.	नाम व्या. मय विषय एवं पदस्थापन स्थान सर्वश्री/सुश्री/श्रीमती	जन्म तिथि	व्याख्याता में चयन का प्रकार	प्रथम नियुक्ति तिथि	स्वीकृत एसीपी	स्वीकृत ग्रेड पे/पे मैट्रिक्स लेवल	स्वीकृति तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	नारायण राम गोदारा व्या. अंग्रेजी राउमावि नेवी की ढाणी, बाप, जोधपुर	20.09.1971	डीपीसी 2013-14	01.07.1998 व.अ.	II 20 वर्षीय	एल-13	01.07.2018
2	रामचन्द्र व्या. अंग्रेजी राउमावि सिसासर कलां, झुन्झुनूं	08.09.1976	डीपीसी 2014-15	29.12.1998 व.अ.	II 20 वर्षीय	एल-13	29.12.2018
3	शंकरलाल मेघवाल व्या. अंग्रेजी राउमावि गोराना, आडोल, उदयपुर	08.05.1968	डीपीसी 2010-11	26.07.1997 व.अ.	II 20 वर्षीय	5400	26.07.2017
4	रामजीलाल जोनवाल व्या. अंग्रेजी राउमावि पीपाणा, राजसमंद	05.09.1969	डीपीसी 2010-11	21.11.1997 व.अ.	II 20 वर्षीय	एल-13	21.11.2017
5	इकबाल हुसैन व्या. अंग्रेजी कार्यालय जि.अ.क अधि. झुन्झुनूं	30.01.1963	डीपीसी 2011-12	01.07.1988 व.अ.	III 30 वर्षीय	एल-14	01.07.2018
6	जाकिर हुसैन व्या. अंग्रेजी राउमावि गारिण्डा सीकर	04.01.1973	डीपीसी 2013-14	04.11.1997 व.अ.	II 20 वर्षीय	एल-13	04.11.2017
7	रामकुमार यादव व्या. अंग्रेजी. राउमावि दोसोद, अलवर	15.10.1970	डीपीसी 2013-14	10.11.1997 व.अ.	II 20 वर्षीय	एल-13	10.11.2017
8	रविप्रकाश यादव व्या. अंग्रेजी राउमावि कोटकासिम अलवर	14.06.1970	डीपीसी 2013-14	31.12.1997 व.अ.	II 20 वर्षीय	एल-13	31.12.2018
9	अमर सिंह कस्वां व्या. संस्कृत रा. बागला आउमावि चूरू	10.07.1975	डीपीसी 2015-16	27.01.1999 व.अ.	II 20 वर्षीय	एल-13	27.01.2019

क्र.सं. 8 पर अंकित कार्मिक को परिनिदा दण्ड के कारण 1 वर्ष विलम्बित तिथि से एसीपी स्वीकृत की गई है। उपरोक्त व्याख्याताओं का वेतन निर्धारण संबंधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा किया जावेगा। इस स्वीकृति एवं वेतन निर्धारण की प्रविष्टि संबंधित व्याख्याता की सेवा-पुस्तिका में आवश्यक रूप से अंकित की जावे। आर वी आर ई एस कार्मिकों को निर्देशानुसार दिनांक 01.07.2011 से पूर्व का एरियर राज्य सरकार द्वारा देय नहीं है।



(नथमल डिडेल)

निदेशक,

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,


बीकानेर

दिनांक :- 18/04/2019

क्रमांक:- शिविरा-मा/संस्था/सी-1/एसीपी/अंग्रेजी/संस्कृत/2018

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संबंधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा
2. संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा
3. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्य.) मुख्यालय
4. संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
5. संबंधित संस्था प्रधान
6. संबंधित कार्मिक
7. सिस्टम, एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा।
8. निजी/रक्षित पत्रावली



1) संयुक्त निदेशक (कार्मिक),
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर